

फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ

बोहड़ सिंह बनाम गुरजन्त सिंह आदि

किरम मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 35/2023

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की तारीख जारी हुआ |
|------------|--|--|
| 27.02.2023 | <p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जरिये वकील प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे ।</p> <p>हमने वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है ।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण, रोही मौजा चक 1 आर.एम.एस. तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 के खाता संख्या 116/40 की कुल 19 कित्ता की 4.6430 हैक्टेयर वाद भूमि की आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिति बनाये रखें । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलवी अप्रार्थीगण जरिये सम्मन जारी होकर दिनांक : 27/03/2023 को पेश हो ।</p> <p><i>(Signature)</i> सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)</p> <p>27/3/23 वकील द्वारा उपस्थित । अर्थात् क्र-01 की ओर से की गांभीर्य से-व. उपस्थित) शेष अज्ञात/अज्ञात वे रजि. सम्मन पेश की । पत्रावली वास्ते जकाब । वधानतः/अज्ञात तलवी दिनांक 28/4/23 को पेश हो <i>(Signature)</i></p> <p>28/4/23 पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2023 कैम्प <i>(Signature)</i> में पेश हो ।</p> <p>11/5/23 पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2023 कैम्प <i>(Signature)</i> में पेश हुई <i>(Signature)</i> <i>(Signature)</i> पत्रावली दिनांक 27/4/23 को पेश हो ।</p> | <p><i>(Signature)</i> जिला क. 10/1 नोहर <i>(Signature)</i></p> <p><i>(Signature)</i></p>  |

| | |
|---------------------------------|--|
| २७ ⁷ / ₂₃ | <p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब पत्रावली दि० ५/१८/२३ को पेश हो</p> |
| ५/१८/२३ | <p>वकुलाय फारिदोत उपस्थित, मजलीस सं०, की अंतर से वकील श्री मउत मोहम जोशी ने पत्रावली पेश किया जो कूल वाड में शामिल है। पत्रावली पेश जवाब दिनांक २५/८/२३ को पेश हो</p> |
| २५/८/२३ | <p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब पत्रावली दि० ११/८/२३ को पेश हो</p> |
| ११/८/२३ | <p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब पत्रावली दि० २१/१०/२३ को पेश हो</p> |
| २१/१०/२३ | <p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब पत्रावली दि० १७/१०/२३ को पेश हो</p> |
| १७/१०/२३ | <p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब पत्रावली दि० २५/१०/२३ को पेश हो</p> |
| २५/१०/२३ | <p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब पत्रावली दि० ३३/१०/२३ को पेश हो</p> |
| ३३/१०/२३ | <p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब पत्रावली दि० ३/११/२३ को पेश हो</p> |
| ३/११/२३ | <p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब पत्रावली दि० ८/१२/२३ को पेश हो</p> |
| ८/१२/२३ | <p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब पत्रावली दि० ३१/१२/२३ को पेश हो</p> |
| ३१/१२/२३ | <p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब पत्रावली दि० ३१/१२/२३ को पेश हो</p> |

Kulbir
Ad
S. 12.2013

उपखण्ड अधिकारी
नोहर